रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1439] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 6, 2012/श्रावण 15, 1934
No. 1439] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 6, 2012/SHRAVANA 15, 1934

खान मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 3 अगस्त, 2012

का.आ. 1738(अ).—केन्द्रीय सरकार द्वारा जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में प्रकाशित भारत सरकार के खान मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2817(अ), तारीख 22 नवम्बर, 2010 के अधीन लोक महत्व के निश्चित विषय अर्थात खान और खनिज (विकास और विनियमन अधिनियम), 1957 (1957 का 67), वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 (1980 का 69), पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 (1986 का 29) और अन्य केन्द्रीय तथा राज्य अधिनियमों और उसके अधीन जारी किए गए नियमों और मार्गदर्शक सिद्धांतों के उपबंधों के उल्लंघन में ऐसे अयस्कों को अवैध रूप से या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना देश के भीतर विभिन्न स्थानों पर एकत्रित करने, परिवहन और निर्यात करने के संबंध में जांच करने के प्रयोजन के लिए भारत के उच्चतम न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति श्री एम. बी. शाह से मिलकर बने आयोग को नियुक्त किया गया और यथासंभव शीघ्र किन्तु पहली बैठक की तारीख से 18 माह के भीतर जांच आयोग को केन्द्र सरकार को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी थी;

और आयोग की पहली बैठक 17 जनवरी, 2011 को हुई थी और आयागे को अपनी रिपोर्ट 16 जुलाई, 2012 को या उससे पूर्व प्रस्तुत करनी थी;

और आयोग सात प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों से खनन संबंधी सूचना का संग्रहण और संकलन कर रहा है जो व्यापक प्रकृति का है और राज्य ऐसी सूचना देने में काफी समय लेंगे और आयोग को अपनी रिपोर्ट पूरी करने के लिए और समय अपेक्षित होगा;

अतः, अब, केन्द्रीय सरकार जांच आयोग अधिनियम, 1952 (1952 का 60) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, न्यायमूर्ति श्री एम. बी. शाह जांच आयोग के कार्यकाल को 16 जुलाई, 2012 से आगे एक वर्ष की अवधि के लिए 16 जुलाई, 2013 तक बढ़ाती है।

[फा. सं. 16/12/2009-एम. VI (पार्ट XV) खंड III]

जी. श्रीनिवास, संयुक्त सचिव

279

MINISTRY OF MINES

NOTIFICATION

New Delhi, the 3rd August, 2012

S.O. 1738(E).—Whereas, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commission of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government *vide* notification of the Government of India in the Ministry of Mines, number S.O. 2817(E), dated 22nd November, 2010, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, sub-section (ii), dated the 22nd November, 2010, appointed a Commission of Inquiry consisting of Shri Justice M. B. Shah, retired Judge of the Supreme Court of India for the purpose of making an inquiry into a definite matter of public importance, namely, mining of iron ore and manganese ore in contravention of the provisions of the Mines and Minerals (Development and Regulation Act, 1957 (67 of 1957), the Forest (Conservation) Act, 1980 (69 of 1980), the Environment (Protection) Act, 1986 (29 of 1986) and other Central and State Acts and the Rules and guidelines issued thereunder and raising, transportation and exporting of such ores illegally or without lawful authority at various places within the country and to submit its report to the Central Government as soon as possible but not later than eighteen months from the date of its first sitting;

And whereas, the first sitting of the Commission was held on the 17th day of January, 2011 and the Commission has to submit its report on or before the 16th day of July, 2012;

And whereas, the Commission is collecting and compiling information on mining from seven important mineral producing States, which is quite voluminous in nature and the States will take long time for supply of such information and the Commission requires further more time for completion of its report;

Now therefore, in exercise of the powers conferred by Section 3 of the Commissions of Inquiry Act, 1952 (60 of 1952), the Central Government hereby extends the term of the Shri Justice M.B. Shah Commission of Inquiry for a period of one year beyond the 16th day of July, 2012 up to the 16th day of July, 2013.

[F. No. 16/12/2009-M.V1(Pt. XV) Vol. III]

G. SRINIVAS, Jt. Secy.

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.